न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—23/2021 (2021/386) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बालु पिता लेहरू जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—अमरचन्द पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—डालु पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मोहन पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जगदीश पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सत्तु पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लालु पिता रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—श्यामु पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—टमु पत्नि बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर **नाम डिलिट**
9—बाली पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—धापु पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—भैरूलाल पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—उदयराम पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—पारस पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—रतन पिता हीरालाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—जगदीश पिता हीरालाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—उगमी पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—बाली पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—शंकरी पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—सुरेशचन्द्र पिता भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—लाड पुत्री भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—सुखी बेवा भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
24—ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरीश टेलर, अमर सिंह — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—23.06.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शिवनाथपुरा पटवार मण्डल बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 272 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 273 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम

शिवनाथपुरा में होता हुआ आगे नदी की तरफ जाने वाली आम सड़क से होकर आगे विपक्षी संख्या 1 लगायत 22 की आराजी संख्या 232 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.50 है0, की पूर्वी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है। इसी से प्रार्थी वर्षो से आवागमन कर रहे है। कभी भी विपक्षीगण ने रोक टोक नही की किन्तु 7–8 माह से प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि तुम्हारा रास्ता यंहा नही निकलने देंगे क्योंकि भूमि हमारे खातेदारी अधिकार की है। इसलिये उक्त रास्ते को बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी व परिवारजन आवागमन नही कर पा रहे है जिससे उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाया जाकर रास्ते का खुलासा करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का और कोई रास्ता मौजुद नही है। आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। एक मात्र यही रास्ता है जिससे प्रार्थी के लिये एक्त रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम शिवनाथपुरा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 272 व 273 में संज बैल बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवगामन करने का एक मात्र रास्ता जो विपक्षी संख्या 1 लगायत 22 की आराजी संख्या 232, 233, 247, 248 की पूर्वी पालियों पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे व विपक्षीगण को पांबद करवाया जावे कि उक्त वर्णित रास्ते से विपक्षीगण कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और रास्ते को सदैव खुला रखे। रास्ते को भविष्य में कभी बन्द नही करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 13 की ओर अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 19 से 20 की ओर से अधिवक्ता अमर सिंह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा विपक्षी संख्या 14 से 18 व 21, 22 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 23, 24, 25 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी 1 से 13 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 प्रार्थी स्वयं साबित करावे। प्रार्थी का कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजी में नही है और कभी भी रास्ता रहा ही नही तो कैसे रोका जा सकता है। विपक्षी की आराजी में आवागमन करने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का वैकल्पिक रास्ता जो निकटतम है वह मौजुद है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेतो की आराजी संख्या 273 व 272 में आवागमन करने का रास्ता आराजी संख्या 292 गै.मु बिलानाम रास्ते में होकर आराजी संख्या 301 में होकर 302, 289, 288, 276, 274 की पूर्वी पालियो पर आसानी से आवागमन किया जा सकता है। तथा प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की आराजी में चाहा गया रास्ता 688 वर्गमीटर बनता है व उक्त वैकल्पिक रास्ते की भूमि 220 वर्गमीटर ही है। इसलिये वैकल्पिक रास्ता नजदीक व निकटतम है व वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तो नया रास्ता देकर उस भूमि को बिलानाम नही किया जा सकता है वह कानुन की मंशा के विपरीत भी है। उक्त वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के बंटायत भाईयो के सम्बन्ध में है तथा प्रार्थी इसी रास्ते से आवागमन कर रहा है। भाई बन्धो से ही रास्ता मांगना कानुनन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 19 व 20 की ओर से जवाब में अंकन किया कि आराजी संख्या 248 व 249 हम विपक्षीगण की स्थित है इन दोनो आराजियात में आवागमन वर्षो से आराजी संख्या 232, 233, 247 की पूर्वी पाली पर होकर सदैव से करते चले आ रहे है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में नही है। हम विपक्षी की आराजी संख्या 248 की पूर्वी पाली पर होकर आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 272, 273 में आवागमन करते है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। खेतो के चारो और खातेदारी भूमियां है। विपक्षीगण बिना डीएससी राशि प्राप्त किये रास्ता देने में

सहमत है। अतः हम विपक्षीगण का जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि वर्तमान में अराजी संख्या 232, 233, 247, 248 पर पानी का धोरा पढ़त डोल पाली पर रास्तानुमा बना हुआ है। मौके पर उक्त विदित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की भूमि के दक्षिण की ओर आराजी संख्या 274, 276, 278, 289 व 302 से आगे गै.मु. रास्ता बिलानाम 301 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की भूमि से करीब 220 मीटर दुर रास्ता है। वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की आराजी संख्या 232, 233, 247, 248 की पूर्वी पाली से होकर निकल रहा है। उक्त रास्ते में आराजी संख्या 232 मे से 128 वर्गमीटर, 233 मे से 144 वर्गमीटर, 247 मे से 176 वर्गमीटर, 148 मे से 240 वर्गमीटर कुल रकबा 688 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर 652285 रूपये प्रति हैक्टयर से 44877 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 89754 रूपये मुआवजा राशि बनती है। संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अन्य रास्ता जो वादी के खेतो से काफी दुर है दक्षिण दिशा में बल्यू स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण में अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आराजी संख्या 232, 233, 247, 248 की पूर्वी मेड़ पर होता हुआ आवागमन कर रहा है जो रास्ता रेकार्ड पर नही है। विपक्षी संख्या 19, 22 को अपनी आराजी में रास्ता देने में कोई ऐतराज नही किया। आराजी संख्या 248 के खातेदार भी इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। आराजी संख्या 215 शामलाती कुआं है। विपक्षीगण के द्वारा जो जवाब में रास्ता बताया गया वो काफी दुर है जबकि प्रस्तावित रास्ते की दुरी काफी कम है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुविधा की दृष्टि से नही होकर आवश्यकता का प्रार्थना पत्र है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तावित रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाकर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करावे।

विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी 19 व 22 के अधिवक्ताओ ने दुरभि सन्धी की है। प्रार्थी ने आराजी संख्या 272, 273 के लिये रास्ता मांगा है। जहां पुराना रास्ता उपलब्ध हो तो प्रार्थना पत्र 251 के तहत् पेश होना चाहिये। निकटतम रास्ता होगा वो ही दिया जा सकता है। रिपोर्ट में जमीन 688 वर्गमीटर की भूमि रास्ते हेतु प्रस्तवित की गई है जबकि दक्षिण वाले रास्ते की दुरी 220 वर्गमीटर है। निकटतम दुरी का रास्ता है जिससे दक्षिण की तरफ की आराजियात में रास्ता दिया जावे फिर भी न्यायालय उचित समझे तो रास्ते की भूमि के बदले भूमि उपलब्ध करवायी जावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 272, 273 में जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा 3 में स्पष्ट अकंन किया कि प्रार्थी आराजी संख्या 232, 233, 247, 248 की पूर्वी पाली से होकर आवागमन कर रहे है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो रास्ता आराजी संख्या 274, 275, 276, 288, 289, 302 जो आराजियात दक्षिण की तरफ स्थित है की तरफ रास्ता 240 देने हेतु कहा गया जिसकी लम्बाई 220 मीटर है एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा जो रास्ते का रकबा बताया जो 688 वर्गमीटर है जो अधिक है और 220 मीटर की दुरी कम है जबकि वास्तविकता में तहसीलदार रापुयर की रिपोर्ट में ऐसा नही होकर तहसीलदार द्वारा दक्षिण की आराजियात से रास्ते की दुरी 220 मीटर दर्शायी है जो कुल लम्बाई है इसमें 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाता है

तो रास्ते का रकबा 880 वर्गमीटर बनता है। विपक्षी संख्या 19 व 22 की ओर से अपनी खातेदारी आराजी संख्या 248 में रास्ता देने में सहमति व्यक्त की गई है। विपक्षीगण 1 से 13 की आराजियात में रास्ते की दुरी 110 मीटर दुरी जिसमें 4 मीटर चौड़ा रास्ता देने पर मात्र 440 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में आती है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो रास्ते की भूमि के बदले भूमि चाही गई है। इस प्रकरण में प्रार्थी की आराजी तक कुल 688 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी के साथ विपक्षी 19 से 22 तक की ओर से भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते ही आवागमन किया जाना बताते हुए रास्ता हेतु मांग की गई है। अर्थात इस प्रकरण में प्रार्थी के साथ—साथ विपक्षी संख्या 19 से 22 को भी रास्ते की आवश्यकता है। जिसमें 344 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी व 344 वर्गमीटर भूमि विपक्षी संख्या 19 से 22 को ओर से अन्य विपक्षीगण को भूमि के बदले भूमि दी जानी है। आराजी संख्या 232 एवं 233 में पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे प्रस्तावित रास्ते की भूमि 272 वर्गमीटर भूमि जिसकी क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 234 से, आराजी संख्या 247 मे से 176 वर्गमीटर भूमि जिसकी क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 248 से एवं कुल रास्ते की भूमि मे से 344 वर्गमीटर भूमि विपक्षी संख्या 19 से 22 को प्रार्थी की आराजी संख्या 272 उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे से क्षतिपूर्ति की जाने पर प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है।

उपरोक्त विवरण अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दुरी का होकर वर्तमान में प्रार्थी इसी से आवागमन कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए एवं विपक्षी संख्या 19 से 22 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवनाथपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 272, 273 व विपक्षी संख्या 19 से 22 की आराजी संख्या 248 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 232 मे से 128 वर्गमीटर, 233 मे से 144 वर्गमीटर, 247 मे से 176 वर्गमीटर, 248 मे से 240 वर्गमीटर कुल रकबा 688 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तवित है जिसमें से 344 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति प्रार्थी की ओर से एवं 344 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति विपक्षी संख्या 19 से 22 की ओर से की जाकर आराजी संख्या 232, 233 मे से कुल 272 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 234 के खातेदार की ओर से पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे से 4.5 मीटर चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण की ओर आराजी संख्या 232, 233 के सम्बधित खातेदार के नाम, आराजी संख्या 247 मे से 176 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 248 के खातेदार की ओर से उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे 1.75 मीटर चोड़ाई में पूर्व से पश्चिम की ओर आराजी संख्या 247 के सम्बंधित खातेदार के नाम एवं आराजी संख्या 248 मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 240 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति के पेटे एवं आराजी संख्या 232, 233, 247 को की गई क्षतिपूर्ति के बदले प्रार्थी के हिस्से में आधी भूमि 344 वर्गमीटर आती है जो प्रार्थी की ओर से प्रार्थी की आराजी संख्या 272 मे से 344 वर्गमीटर भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर 3.50 मीटर चौड़ाई में विपक्षी संख्या 19 से 22 के खातेदार के नाम की दर्ज करते हुए प्रस्तावित रास्ते के रकबे 688 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जाकर इसी अनुसार तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/06/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—23 / 2021 (2021 / 386) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बालु पिता लेहरू जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—अमरचन्द पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—डालु पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मोहन पिता कालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जगदीश पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सत्तु पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लालु पिता रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—श्यामु पिता बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—टमु पत्नि बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर **नाम डिलिट**
9—बाली पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—धापु पुत्री रामा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—भैरूलाल पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—उदयराम पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—पारस पिता गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—रतन पिता हीरालाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—जगदीश पिता हीरालाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—उगमी पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—बाली पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—शंकरी पुत्री गोपी जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—सुरेशचन्द्र पिता भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—लाड पुत्री भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—सुखी बेवा भंवरलाल जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
24—ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए एवं विपक्षी संख्या 19 से 22 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवनाथपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 272, 273 व विपक्षी संख्या 19 से 22 की आराजी संख्या 248 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 232 मे से 128 वर्गमीटर, 233 मे से 144 वर्गमीटर, 247 मे से 176 वर्गमीटर, 248 मे से 240 वर्गमीटर कुल रकबा 688 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तवित है जिसमें से 344 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति प्रार्थी की ओर से एवं 344 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति विपक्षी संख्या 19 से 22 की ओर से की जाकर आराजी संख्या 232, 233 मे से कुल 272 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 234 के खातेदार की ओर से पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे से 4.5 मीटर चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण की ओर आराजी संख्या 232, 233 के सम्बधित खातेदार के नाम, आराजी संख्या 247 मे से 176 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति आराजी संख्या 248 के खातेदार की ओर से उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे 1.75 मीटर चोड़ाई में पूर्व से पश्चिम की ओर आराजी संख्या 247 के सम्बंधित खातेदार के नाम एवं आराजी संख्या 248 मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 240 वर्गमीटर भूमि की क्षतिपूर्ति के पेटे एवं आराजी संख्या 232, 233, 247 को की गई क्षतिपूर्ति के बदले प्रार्थी के हिस्से में आधी भूमि 344 वर्गमीटर आती है जो प्रार्थी की ओर से प्रार्थी की आराजी संख्या 272 मे से 344 वर्गमीटर भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर 3.50 मीटर चौड़ाई में विपक्षी संख्या 19 से 22 के खातेदार के नाम की दर्ज करते हुए प्रस्तावित रास्ते के रकबे 688 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जाकर इसी अनुसार तरमीम की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

23/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)